

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1932 (शO) पटना, शुक्रवार, 9 अप्रील 2010

(सं0 पटना 258)

विधि विभाग

अधिसूचना

9 अप्रील 2010

सं॰एल0जी0-1-19/2010/लेज-116—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 7 अप्रील 2010 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।

बिहार वित्त अधिनियम, 2010

(बिहार अधिनियम 8, 2010)

प्रस्तावना— बिहार मृल्यवर्ष्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम, 27), बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) एवं बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम XXXV) में संशोधन करने के लिये अधिनियम 1

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- **1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।** (1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2010 कहा जायेगा ।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
 - (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

भाग- I

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन ।

- 2. अधिनियम की धारा—15 में संशोधन |— (क) बिहार मूल्य वर्द्धित—कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा—15 की उप—धारा(1) के पश्चात एक नयी उप—धारा(1क) निम्नवत् जोड़ी जायेगी :—
 - "(1क) उप—धारा (1) में अंतर्विष्ट इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, ऐसे वर्ग के रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों को, जिनका कुल आवर्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है, उसके द्वारा अधिनियम के अधीन संदेय कर के बदले में एक निश्चित रकम भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकेगी:

परंतु कोई ऐसी अनुज्ञा किसी विनिर्माता या किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जो अपने कारबार के प्रयोजन के लिए बिहार राज्य से बाहर किसी स्थान से किसी माल का आयात करता है:

परंतु यह और कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट रकम उस कर के अतिरिक्त होगी जो व्यौहारी द्वारा धारा–4 के अधीन संदाय हो।"

- (ख) बिहार मूल्य वर्द्धित—कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा—15 की उप—धारा (2) के पश्चात् एक नयी उप—धारा (2क) निम्नवत् जोड़ी जायेगी ।
 - ''(२क) ऐसी व्यौहारी, जिनको उप–धारा (1) के उपबंध लागू होते हैं,–
 - (क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर किसी कर का प्रभारण नहीं करेंगे:
 - (ख) उनके द्वारा माल के विक्रय पर कर का प्रभारण नहीं करेंगे: और
 - (ग) उनके द्वारा किए गए विक्रयों के संबंध में कर बीजकर जारी करने के हकदार नहीं होंगे।''
- (ग) बिहार मूल्य वर्द्धित—कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा—15 की उप—धारा (3) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक 'उप—धारा (1)' के पश्चात शब्द, कोष्ठक एवं अंक 'तथा उप—धारा (1क)' अंतर्विष्ट की जायेगी।—
- 3. अधिनियम की धारा—24 में संशोधन।—(क).बिहार मूल्य वर्द्धित—कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा—24 की उप—धारा (1) के खंड (ख) में शब्द एवं अंक 'धारा—15' के पश्चात शब्द, कोष्ठक एवं अंक 'की उप—धारा (1), उप—धारा (1क) तथा उप—धारा (4)' अंतर्विष्ट की जायेगी।
- (ख). बिहार मूल्य वर्द्धित—कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा—24 की उप—धारा (1) के खंड (ख) में शब्द समूह 'नियत दर से कर' के पश्चात शब्द समूह 'अथवा निश्चित रकम' अंतर्विष्ट की जायेगी।
- (ग) बिहार मूल्य वर्द्धित—कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा—24 की उपधारा (4) के पश्चात एक नयी उप—धारा (4क) निम्नवत् जोड़ी जायेगी।—
 - "(4क) प्रत्येक व्यवहारी जिसे धारा—15 की उप—धारा (1क) के अधीन कर का संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है, विहित प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बावत एक वार्षिक प्रतिवेदन, उस वर्ष से आगामी वर्ष की, जिससे ऐसा विवरण संबंधित हो, जुलाई की 31 तारीख तक दाखिल करेगा।"
- (घ) बिहार मूल्य वर्द्धित—कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा—24 की उप—धारा (9) के पश्चात एक नयी उप—धारा (9क) निम्नवत् जोड़ी जायेगी।—
 - ''(9क) इस धारा की उप—धारा (9) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम की धारा—15 की उप—धारा (1क) के अधीन कर का संदाय करने हेतु अनुज्ञात प्रत्येक व्यौहारी उसके द्वारा भुगतेय समस्त निश्चित राशि का भुगतान एक मुश्त करेगा एवं अधिनियम की धारा—15 की उप—धारा (1क) के अधीन कर भुगतान करने हेतु अपने आवेदन के साथ ऐसी भुगतान का साक्ष्य संलग्न करेगा।''
- 4. अधिनियम में एक नयी धारा—24क का जोड़ा जाना।— बिहार मूल्य वर्द्धित—कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा—24 के पश्चात एक नयी धारा—24क निम्नवत् जोड़ी जायेगी।—

"24क कितपय व्यवहारियों की विवरणी:— धारा—24 में अंतर्विष्ट इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यवहारी जिसे धारा—15 की उप—धारा (5) के खंड (ख) के प्रावधान लागू होते हों, विहित प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बावत एक वार्षिक विवरणी, उस वर्ष से आगामी वर्ष की, जिससे ऐसी विवरणी संबंधित हो, जुलाई की 31 तारीख तक दाखिल करेगा।"

भाग- II

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन

- 5. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-5 में संशोधन ।-
- (i) धारा- 5(4), उप-धारा (3) के बाद निम्नवत् जोड़ी जाएगी -
 - "(4): सभी वाहन जो केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत "बैटरी चालित यान" परिभाषा से आच्छादित होंगे को कुल कर, अतिरिक्त मोटर वाहन कर सहित, के 50 प्रतिशत् की छूट दी जायेगी।"
- (ii) धारा- 5(4) के बाद नई उप-धारा (5) निम्नवत् जोड़ी जाएगी :-
 - "(5): वैसे स्टेज कैरेज जिनकी बैठान क्षमता 13 व्यक्तियों से कम नहीं हो एवं छूट हेतु आवेदन दिए जाने के समय एक वर्ष से अधिक पुराने नहीं हो एवं सरकार द्वारा अधिसूचित नगर निगम के सीमाओं के अधीन निर्धारित रूट पर चलते हों, को कुल कर, अतिरिक्त कर सहित, के 50 प्रतिशत् की छूट दी जायेगी

परन्तु यह कि, यह छूट प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहन को मान्य नहीं होगी''।

- (iii) धारा- 5(5) के बाद नई उप-धारा (6) निम्नवत् जोड़ी जाएगी :-
 - "'(6): प्रत्येक वाहन स्वामी द्वारा जिनके पास 12 वर्षों से अधिक पुराना निबंधित परिवहन वाहन है, तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर एवं ट्रेलर को छोड़कर, अतिरिक्त कर सहित कुल कर का 10 प्रतिशत "'हरित कर" के रूप में देय होगा"।
- 6. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 में संशोधन ।- धारा-7(7) के बाद एक नई उप-धारा (8) निम्नवत् जोड़ी जायेगी -
 - ''(8):(क) गैर-कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये ट्रैक्टर पर इसके क्रय मूल्य, वैट को छोड़कर, का एक प्रतिशत आजीवन कर देय होगा।

परन्तु यह कि, पूर्व से निबंधित ट्रैक्टर के द्वारा देय एकमुश्त कर की गणना पूर्व में जमा किये गये कर को घटा कर की जायेगी ।

(ख) 3000 कि.ग्रा. तक के निबंधित लदान क्षमता वाले सभी ट्रैलर जिन्हें गैर-कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जाता है या रखा गया है, से एक मुश्त रु. 4,000.00 कर देय होगा तथा 3000 कि.ग्रा. से अधिक निबंधित लदान क्षमता वाले सभी ट्रैलर से रु. 6,000.00 एकमुश्त कर देय होगा ।

परन्तु यह कि, पूर्व से निबंधित ट्रैलर द्वारा एकमुश्त देय कर की गणना पूर्व में जमा किये गये कर को घटा कर की जायेगी ।''

- 7. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-10 में संशोधन ।- बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-10 में ''5 प्रतिशत'' को ''10 प्रतिशत'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- 8. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 का परिशिष्ट-1 का संशोधन ।-क्रम संख्या 3 क (i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा एवं एक नया क्रम संख्या $3(\eta)$ को $3(\varpi)$ के बाद जोड़ा जाएगा तथा क्रम संख्या 5 को विलोपित किया जायेगा ।

क्रम संख्या-3- मोटर कैब एवं ओमनी बस

(क) चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)

(i) तीन पहिया—(क) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु. 5,000.00 देय होगा । परन्तु यह कि, जो तिपहिया वाहन पूर्व से निबंधित है उनपर देय बकाये कर की गणना पूर्व में

भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जायगी।

परन्तु आगे यह कि, अगर वाहन द्वारा पूर्व में रु. 5,000.00 से अधिक कर का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एकमुश्त कर देय नहीं होगा।

(ख) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनां पर अगले पाँच वर्षो के लिए एकमुश्त रू० 5,000.00 कर देय होगा ।

परन्तु यह कि, इन तीन पहिया वाहनों द्वारा देय एकमुश्त कर की गणना दस वर्ष की अविध के बाद भुगतान किये गए कर की राशि को घटाकर की जायेगी।

(ग) 7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)—(क) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु. 7,500.00 देय होगा ।

परन्तु यह कि, जो तिपहिया वाहन पूर्व से निबंधित है उनपर देय बकाये कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जायगी।

परन्तु आगे यह कि, अगर वाहन द्वारा पूर्व में रु. 7,500.00 से अधिक कर का भुगतान कर दिया गया हो तो उससे एकमुश्त कर देय नहीं होगा ।

(ख) 10 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर अगले पाँच वर्षो के लिए एकमुश्त रू० 7,500.00 कर देय होगा ।

> परन्तु यह कि, इन तीन पहिया वाहनों द्वारा देय एकमुश्त कर की गणना दस वर्ष की अविध के बाद भुगतान किये गए कर की राशि को घटाकर की जायेगी।

- (5) ट्रैक्टर : विलोपित ।
- 9. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 का परिशिष्ट-2 में संशोधन।-अधिनियम का परिशिष्ट का निम्नलिखित भाग विलोपित किया जाता है :-क्रम संख्या -
 - (1) रिवेट विलोपित ।
 - (2) (क) विलोपित ।
 - (3) रिवेट विलोपित ।

भाग- III

बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में संशोधन

- 10. बिहार मनोरंजन–कर अधिनियम, 1948 की धारा–2 में संशोधन।–
- (क) उक्त अधिनियम की धारा-2 (छ) में उप-खंड (iv) के बाद एक स्पष्टीकरण निम्नवत जोड़ा जाएगा -

"स्पष्टीकरण— "प्रवेश के लिए भुगतान" में नगर विकास विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रख रखाव फीस सम्मिलित नहीं होगा।"

- (ख) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 की धारा—2 में संशोधन।—उक्त अधिनियम की धारा—2 की उप—धारा (थ) के पश्चात एक नई उप—धारा (द) निम्नवत् जोड़ी जाएगी
 - "(द) एकल संग्रहण क्षमता का अर्थ है छिवगृह की कुल आसन क्षमता के लिए संग्रहित कुल राशि, जिसके अंतर्गत प्रवेश शुल्क, समय—समय पर धारा— 3(1) के अंतर्गत अधिसूचित कर दर के आधार पर संग्रणित कर, किसी मनोरंजन में प्रवेश हेतु किसी अधिकार, सुविधा सेवा या उक्त से संबंधित वस्तु के लिए लिया गया शुल्क अथवा अधिभार, नगर विकास विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रख—रखाव शुल्क को छोड़कर आते हैं।""

- 11. धारा—3क का निरसन | बिहार मनोरंजन—कर अधिनियम, 1948 की धारा—3क को निरसित किया जाएगा तथा शब्द, अंक एवं अक्षर ''धारा 3क'', अधिनियम में जहां कही भी प्रयुक्त हुआ हो, निरसित किये जाऐंगे।
- 12. धारा—3ककक का प्रतिस्थापन। बिहार मनोरंजन—कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 35) की धारा—3ककक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :—

''3ककक. अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक मनोरंजन प्रदान करनेवाला द्वारा प्रदान किये गये मनोरंजन की बावत प्रदान किये जा रहे मनोरंजन के सकल संग्रहण पर ऐसी दर से राज्य सरकार को कर भुगतान करेगी जो राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना में विहित होगी तथा जो सकल संग्रहण के पच्चीस प्रतिशत से अन्धिक परन्तु पंद्रह प्रतिशत से अन्यून होगी।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद ''सकल संग्रहण'' से अभिप्रेत है वैसी राशियों का योग जो मनोरंजन प्रदान करनेवाला द्वारा अपने सबसक्राईबर से प्राप्त किया गया हो एवं जो सबसक्राईबर द्वारा सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे सिगनल की बावत है।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।

अधिसूचना

9 अप्रील 2010

सं॰एल0जी0 1-19/2010/लेज-117—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अप्रील 2010 को अनुमत बिहार वित्त अधिनियम, 2010 का निम्निलखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव ।

BIHAR FINANCE ACT, 2010 [BIHAR ACT 8, 2010]

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (ACT 27 OF 2005), THE BIHAR MOTOR VEHICLE TAXATION ACT, 1994 (BIHAR ACT 8 OF 1994) AND THE BIHAR ENTERTAINMENT TAX ACT, 1948 (BIHAR ACT XXXV OF 1948)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixtyfirst year of the Republic of India as follows:-

- **1.** *Short title, extent and commencement* (1) This Act may be called the Bihar Finance Act, 2010.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar
 - (3) It shall come into force at once.

PART- I

AMENDMENT IN BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005

2. Amendment in Section 15 of the Act.— (a) After sub-section (1) of section 15 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), a new sub-section (1A) shall be added in the following way, namely—

- "(1A) Notwithstanding anything to the contrary contained in the sub-section (1), the State Government may, by notification and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, permit any class of registered dealers, whose gross turnover does not exceed the limit specified in the notification to pay a fixed amount in lieu of the tax payable by the dealer under the Act:
- Provided that no such permission shall be granted to a manufacturer or a person who imports any goods from any place outside the State of Bihar for the purpose of his business:
- Provided further that the amount so specified shall be in addition to any tax that may be payable by the dealer under section 4."
- (b). After sub-section (2) of section 15 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), a new sub-section (2A) shall be added in the following way, namely—
 - "(2A) The dealers to whom the provisions of sub-section (1A) apply shall
 - (a) not charge any tax on the sale of goods specified in Schedule I;
 - (b) not charge any tax on sale of goods effected by him; and
 - (c) not be entitled to issue tax invoices in respect of sales made by them."
- (c). In sub-section (3) of section 15 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), after the words, bracket and figures 'under sub-section (1)', the words, bracket and figures 'and under sub-section (1A)' shall be inserted.
- 3. Amendment in Section 24 of the Act. —(a) In clause (b) of sub-section (1) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), after the words, bracket and figures 'under sub-section (1)', a comma shall be inserted and after the comma so inserted the words, bracket and figures 'under sub-section (1A)' shall be inserted.
- (b). In clause (b) of sub-section (1) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), after the words 'at a fixed rate', the words 'or a fixed amount' shall be inserted".
- (c) After sub-section (4) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), a new sub-section (4A) shall be added in the following way, namely—
 - "(4A) Every dealer who has been permitted to pay tax under sub-section (1A) of section 15 shall furnish to the prescribed authority an annual statement, in the form and manner prescribed, in respect of every financial year by the 31st day of July of the year following the year to which such statement relates."
- (d) After sub-section (9) of section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), a new sub-section (9A) shall be added in the following way, namely—
 - "(9A) Notwithstanding anything contained in sub-section (9) of this section, every dealer permitted to pay tax under sub-section (1A) of section 15 of the Act shall deposit the fixed amount required to be paid by him in one installment and attach evidence of such payment along with the application required to be furnished by him for paying tax under sub-section (1A) of section 15 of the Act."

- 4. Addition of a new Section 24A in the Act.— After section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), a new Section 24A shall be added in the following way, namely—
 - **"24A. Returns of certain classes of dealers.-** Notwithstanding anything to the contrary contained in section 24, every dealer to whom the provisions of clause (b) of sub-section (5) of section 15 apply, shall furnish to the prescribed authority an annual return, in the form and manner prescribed, in respect of every financial year by the 31st day of July of the year following the year to which such return relates."

PART- I

Amendment in Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994

- 5. Amendment of Section 5 of Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994 (Bihar Act 8 of 1994).
 - (I) After Section 5(3) a new sub-section (4) shall be inserted in the following way namely-
 - "(4): A rebate of fifty percent of total tax payable, including Additional Tax, shall be allowed on all motor vehicles which fall under the definition of 'Battery Operated Vehicle' as defined in the Central Motor Vehicles Rules, 1989."
- (II) After Section 5(4) a new sub-section (5) shall be inserted in the following way namely-
 - "(5): A rebate of fifty percent of total tax payable, including Additional Tax, shall be allowed on such stage carriages not more than one year old from the date of first registration at the time of applying for the rebate, with seating capacity not less than 13 persons and plying on routes within the limits of Municipal Corporation as notified by the Government of Bihar.

Provided that this rebate shall not be available for such vehicles more than ten years old from the date of first registration."

- (III) After Section 5(5) a new sub-section (6) shall be inserted in the following way namely-
 - "(6): A "Green Tax" at the rate of ten percent of tax payable, including Additional Tax, shall be payable by every owner of a registered transport vehicle more than 12 years old except on three wheelers, tractors and trailers."
- **6.** Amendment of Section 7 of Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994 (Bihar Act 8 of 1994).—After Section 7(7) a new sub-section (8) shall be inserted in the following way namely-
 - "(8): (a) One-time tax for the life time of the vehicle shall be levied on tractors used or kept for use for other than agricultural purpose at the rate of one percent of the cost of the vehicle excluding Value Added Tax.
 - Provided one time tax payable by tractors already registered shall be calculated after deducting the tax amount already paid.
 - (b) A one time tax of Rs. 4,000.00 shall be payable by all trailers up to 3,000 kgs registered laden weight and Rs. 6,000.00 shall be payable by all trailers more than 3,000 kgs registered laden weight used or kept for use along with tractors for other than agricultural purpose:

Provided one time tax payable by trailers already registered shall be calculated after deducting the tax amount already paid."

7. Amendment to section 10 of Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994 (Bihar Act 8 of 1994).— In section 10 of Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994 "5%" shall be substituted by "10%".

8. Amendment of Schedule I of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 (Bihar Act 8 of 1994). —The following shall substitute serial no. (3)(a)(i), a new serial number 3(c) shall be inserted after serial number 3(b), and serial no. 5 shall be deleted-

SCHEDULE I PART C

[See sub-section (3) of Section 7]

- 3. Motor cabs and omnibuses –
- (a) Seating not more than 4 persons (excluding the driver) –
- (i) Three wheelers— (a) A one-time tax of Rs. 5,000.00 on all three wheelers up to one year of age at the time of registration for a period of ten years from the date of first registration in the State:

Provided one time tax payable by three wheelers already registered shall be calculated after deducting the tax amount already paid:

Provided further that no one time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than Rs. 5000.00 as taxes.

(b) A one time tax of Rs. 5,000.00 for a period of five years on three wheelers which are more than ten years old:

Provided one time tax payable by such three wheelers shall be calculated after deducting the tax amount already paid after the ten year period.

- (c) Three wheelers with seating upto 7 persons (excluding the driver)—
 - (a) A one-time tax of Rs. 7,500.00 on all three wheelers up to one year of age at the time of registration for a period of ten years from the date of first registration:

Provided one time tax payable by three wheelers already registered shall be calculated after deducting the tax amount already paid:

Provided further that no one time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than Rs. 7,500.00 as taxes.

(b) A one time tax of Rs. 7,500.00 for a period of five years on three wheelers which are more than ten years old:

Provided one time tax payable by such three wheelers shall be calculated after deducting the tax amount already paid after the ten year period.

5. Tractors deleted.

9. Amendment of Schedule II of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 (Bihar Act 8 of 1994).—The following parts of Schedule II shall be deleted from Bihar Motor Vehicle Act,1994-Serial No.

1.	-Rebate	- deleted
2(a).		- deleted.
3.	-Rebate	- deleted

PART- III

AMENDMENT IN BIHAR ENTERTAINMENT TAX ACT, 1948

- **10.** Amendment in Section-2 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (a) After Subclause (iv) of Sub-Section (g) of Section-2 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 an explanation shall be inserted in the following way, namely
 - "EXPLANATION. 'Payment for admission' shall not include maintenance fee specified by the Urban Development Department."
- (b) After Sub-Section (q) of Section-2 of the Act a new Sub-Section (r) shall be added in the following way, namely –

- "(r) 'Gross collection capacity' shall mean the amount collected in respect of the total seating capacity and includes payment for admission, tax realized at rates notified from time to time under sub-section (1) of section (3), any fee or surcharge realized in respect of any right of entry to an entertainment or any service or facility extended, or in respect of any goods in connection therewith, in respect of any entry to an entertainment but does not include any maintenance fee specified by the Urban Development Department."
- 11. Repeal of Section 3A of the Act.—- Section 3A of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 shall be repealed and the word, figure and letter "section 3A", wherever appearing in the said Act, shall be repealed.
- 12. Substitution of Section 3AAA of the Act. Section 3AAA of the Bihar Entertainments Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948) shall be substituted by the following:-
 - "3AAA. Notwithstanding any thing contained in the Act, there shall be levied, and paid by every entertainment provider to the State Government, a tax, in such manner as may be prescribed, not exceeding twenty-five per centum of the gross collection, but not below fifteen per centum of the gross collection, in respect of the entertainment provided by him, as may be specified by the State Government in a notification published in the Official Gazette.
 - EXPLANATION—For the purposes of this Section, the expression "gross collection" shall mean the aggregate of the amount of payments received by the entertainment provider from the subscriber receiving signals through the Set Top Box."

By Order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 258-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in